

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 428
सोमवार, 05 फरवरी, 2024/16 माघ, 1945 (शक)

भारत में बेरोजगारी दर

428. श्री सुशील कुमार रिकू:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पंजाब सहित देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों की अनुमानित संख्या कितनी है;
- (ख) सरकार द्वारा उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;
- (ग) देश के उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां बेरोजगारी की दर अधिक है; और
- (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार प्रदान किए गए युवकों और युवतियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष निम्नानुसार है:

बेरोजगारी दर (यूआर) (% में)			
वर्ष	ग्रामीण	शहरी	अखिल भारत
2020-21	3.3	6.7	4.2
2021-22	3.2	6.3	4.1
2022-23	2.4	5.4	3.2

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उपरोक्त तालिका के आंकड़ों दर्शाते हैं कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति है।

पंजाब में वर्ष 2020-21, वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) क्रमशः 6.2%, 6.4% और 6.1% थी।

वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) **अनुबंध-I** में है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) निम्नानुसार है:

कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (%में)			
वर्ष	पुरुष	महिला	योग
2020-21	73.5	31.4	52.6
2021-22	73.8	31.7	52.9
2022-23	76.0	35.9	56.0

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उपरोक्त आंकड़ों दर्शाते हैं कि रोजगार का संकेत देने वाले कामगार जनसंख्या अनुपात में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि की प्रवृत्ति है।

वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) **अनुबंध-II** में है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश भर में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार द्वारा सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगारों के सृजन तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 19.01.2024 तक, योजना के तहत 60.49 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को, उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। इस योजना के तहत दिनांक 31.01.2024 तक, 83.67 लाख ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। पीएमएमवाई के तहत, सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को, अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत, दिनांक 26.01.2024 तक 46.16 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

सरकार द्वारा, वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना कार्यान्वित की जा रही है जिससे 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगे।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं। सरकार ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास हेतु एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है।

इसके साथ-साथ, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस), प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस), का कार्यान्वयन कर रहा है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रम आदि भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही हैं।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

लोक सभा के दिनांक 05.02.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 428 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) (% में)

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23
1	आंध्र प्रदेश	4.1	4.2	4.1
2	अरुणाचल प्रदेश	5.7	7.7	4.8
3	असम	4.1	3.9	1.7
4	बिहार	4.6	5.9	3.9
5	छत्तीसगढ़	2.5	2.4	2.4
6	दिल्ली	6.3	5.3	1.9
7	गोवा	10.5	12.0	9.7
8	गुजरात	2.2	2.0	1.7
9	हरियाणा	6.3	9.0	6.1
10	हिमाचल प्रदेश	3.3	4.0	4.3
11	झारखंड	3.1	2.0	1.7
12	कर्नाटक	2.7	3.2	2.4
13	केरल	10.1	9.6	7.0
14	मध्य प्रदेश	1.9	2.1	1.6
15	महाराष्ट्र	3.7	3.5	3.1
16	मणिपुर	5.6	9.0	4.7
17	मेघालय	1.7	2.6	6.0
18	मिजोरम	3.5	5.4	2.2
19	नागालैंड	19.2	9.1	4.3
20	ओडिशा	5.3	6.0	3.9
21	पंजाब	6.2	6.4	6.1
22	राजस्थान	4.7	4.7	4.4
23	सिक्किम	1.1	1.6	2.2
24	तमिलनाडु	5.2	4.8	4.3
25	तेलंगाना	4.9	4.2	4.4
26	त्रिपुरा	3.2	3.0	1.4
27	उत्तराखंड	6.9	7.8	4.5
28	उत्तर प्रदेश	4.2	2.9	2.4
29	पश्चिम बंगाल	3.5	3.4	2.2
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	9.1	7.8	9.7
31	चंडीगढ़	7.1	6.3	4.0
32	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	4.2	5.2	2.5
33	जम्मू एवं कश्मीर	5.9	5.2	4.4
34	लद्दाख	2.9	3.3	6.1
35	लक्षद्वीप	13.4	17.2	11.1
36	पुडुचेरी	6.7	5.8	5.6
	अखिल भारत	4.2	4.1	3.2

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

लोक सभा के दिनांक 05.02.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 428 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (% में)

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2020-21			2021-22			2022-23		
		पुरुष	महिला	व्यक्तियों	पुरुष	महिला	व्यक्तियों	पुरुष	महिला	व्यक्तियों
1	आंध्र प्रदेश	73.8	43.9	58.6	74.6	41.8	57.8	73.9	44.0	58.6
2	अरुणाचल प्रदेश	69.7	25.1	48.5	64.7	28.2	47.1	73.3	56.0	64.9
3	असम	76.6	22.9	50.5	76.8	26.8	52.1	88.9	19.6	54.5
4	बिहार	67.5	10.4	39.9	67.7	9.9	39.3	71.2	22.0	47.0
5	छत्तीसगढ़	73.7	53.2	63.6	79.6	50.6	64.9	81.2	58.6	70.1
6	दिल्ली	67.8	12.9	42.7	68.9	11.5	42.3	73.1	14.5	45.8
7	गोवा	62.4	23.5	43.4	66.3	16.6	41.6	66.8	24.0	45.1
8	गुजरात	76.6	32.4	55.0	78.1	33.9	56.8	80.4	41.7	61.5
9	हरियाणा	67.7	18.1	44.0	65.0	17.4	42.5	68.2	19.7	44.9
10	हिमाचल प्रदेश	78.4	61.1	69.5	78.9	63.8	71.2	80.3	67.6	73.8
11	झारखंड	75.4	43.6	59.6	77.2	44.8	60.7	76.8	45.5	60.9
12	कर्नाटक	76.4	34.9	55.3	74.6	31.0	53.0	73.6	37.2	55.6
13	केरल	66.8	28.2	46.1	68.0	32.0	48.8	70.2	33.5	50.5
14	मध्य प्रदेश	79.4	40.1	60.2	79.7	40.6	60.7	81.9	43.8	63.4
15	महाराष्ट्र	72.3	35.0	53.9	73.6	37.3	55.9	74.7	39.8	57.6
16	मणिपुर	61.7	20.1	41.0	60.6	20.3	40.6	67.2	29.9	48.7
17	मेघालय	74.3	50.5	62.0	73.0	48.4	60.5	76.3	56.0	65.8
18	मिजोरम	67.9	40.2	54.5	64.6	32.0	48.9	66.0	43.8	55.2
19	नागालैंड	59.9	38.5	49.5	69.3	46.4	58.4	75.4	62.9	69.4
20	ओडिशा	75.1	32.2	53.5	73.6	31.4	52.4	74.4	43.6	58.9
21	पंजाब	73.0	21.1	47.2	72.8	21.9	48.5	74.2	25.2	50.2
22	राजस्थान	71.2	39.0	55.3	70.2	39.0	54.7	70.8	46.5	58.8
23	सिक्किम	81.5	60.6	71.3	82.6	56.5	69.9	80.9	66.4	74.0
24	तमिलनाडु	74.3	40.8	56.9	73.5	39.1	55.8	71.4	38.6	54.7
25	तेलंगाना	72.1	43.4	57.8	73.6	42.6	58.1	72.0	43.1	57.7
26	त्रिपुरा	77.9	29.9	53.8	74.9	25.5	50.6	73.7	34.8	54.3
27	उत्तराखंड	66.9	29.9	48.7	65.1	31.6	48.7	70.1	37.0	53.5
28	उत्तर प्रदेश	73.8	21.9	48.0	74.5	25.8	50.1	77.2	30.6	53.9
29	पश्चिम बंगाल	78.4	28.1	53.0	77.5	27.4	52.7	79.0	33.1	56.1
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	77.8	37.4	58.2	78.5	39.2	59.2	79.1	39.8	60.0
31	चंडीगढ़	63.0	23.2	43.1	66.3	15.5	42.2	69.2	20.8	45.6
32	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीन	73.0	30.0	54.0	85.0	39.4	65.8	88.0	35.4	65.0
33	जम्मू एवं कश्मीर	70.5	39.9	55.5	74.5	41.1	58.3	74.2	46.9	60.7
34	लद्दाख	71.4	66.3	69.1	70.3	45.8	58.1	58.3	55.6	57.0
35	लक्षद्वीप	68.9	12.5	40.1	63.7	10.9	37.2	62.3	14.8	35.5
36	पुडुचेरी	72.3	26.9	48.1	69.2	34.4	51.2	70.7	31.6	49.6
अखिल भारत		73.5	31.4	52.6	73.8	31.7	52.9	76.0	35.9	56.0

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई